अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।

पत्रांक / पशुधन / 2021–22 दिनांक 11/08/2021

1–समस्त उप जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
2–समस्त खण्ड विकास अधिकारी प्रतापगढ़।

विषय– किसानो द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले ब्लेड वाले/कंटीले तारों को पूर्णतया प्रतिबंधित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव उ0प्र0 शासन पशुधन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–1294/37–2–2021 दिनांक 13.07.2021 (सलग्न) निदेशक, प्रशासन एव विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या–515/सामा0–2/एस0ए0डब्ल्यू0बी0(सेल)/विविध दिनांक 22.07.2021 (सलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करे, जो कि अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित है जिसमे किसानो द्वारा खेतो मे पशुओ के प्रवेश को रोकने हेतु इस्तेमाल किये जाने वाले ब्लेड वाले/कंटीले तारो का पूर्णत प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध मे अपने स्तर से रोक के निर्देश प्राप्त हुये है।

उक्त के सम्बन्ध मे उ0प्र0 गो–सेवा आयोग की बैठक दिनाक 17.07.2017 मे किसानो द्वारा खेतों मे पशुओं के प्रवेश को रोकने हेतु प्रयोग किये जाने वाले ब्लेड वाले तारों को प्रतिबंधित करने की संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 तथा उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 (यथा संशोधित अधिनियम 2020) के प्राविधनानुसार शासन के पत्र दिनाक 16.03.2018 के माध्यम से किसानों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले ब्लेड वाले/कंटीले तारों को पूर्णतया प्रतिबंधित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये थे।

उक्त के क्रम मे आपको निर्देशित किया जाता है कि किसानो द्वारा खेतों मे पशुओं के प्रवेश को रोकने हेतु इस्तेमाल किये जाने वाले ब्लेड वाले/कंटीले तारो को पूर्णतः प्रतिबंधित किये जाने के सम्बन्ध मे शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करे।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(डा0 नितिन बंसल)
जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

पत्रांक 989 /उक्त /दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/पशुचिकित्साधिकारी प्रतापगढ़।
2. जिला पंचायत राज अधिकारी, प्रतापगढ।
3. जिला कृषि अधिकारी, प्रतापगढ़।
4. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, प्रतापगढ।
5. मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
6. पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ।
7. अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
8. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
9. प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन लखनऊ।

11/8/21

जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

प्रेषक,

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
बरेली।

सेवा में,

1. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक,
बरेली।

2. समस्त उपजिलाधिकारी,
बरेली।

पत्रांक - २०९५-C

दिनांक - 14.12.2021

विषय— किसानो द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले ब्लेड/कंटीले तारों को पूर्णतया प्रतिवन्धित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशु पालन विभाग, उ0प्र0 के पत्रांक 515/सामा0–1/एस0ए0डब्लू0बी0(सेल)/बिविध, दिनांक 22.07.2021 के द्वारा किसानो द्वारा खेतों में पशुओं के प्रवेश को रोकने हेतु इस्तेमाल किये जाने वाले ब्लेड/कंटीले तारो को पूर्णतः प्रतिबंधित किये जाने के संबंध में पशुकरता निवारण अधिनियम, 1960 तथा उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955(यथासंशोधिते अधिनियम, 2020) के प्राविधानानुसार कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः उक्त के संबध में अनुरोध है कि निदेशालय से प्राप्त निर्देशो का अनुपालन कराने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।

14/12/2021

(डा0 ललित कुमार वर्मा)
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी,
बरेली।

पत्रांक: /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि—

1. समस्त उपमुख्य/ पशुचिकित्सा अधिकारी बरेली के इस कार्यालय के पत्र संख्या 909—सी0/पशुधन/2021—22 दिनांक 27.07.2021 के कम में परिपालनार्थ।
2. अपर निदेशक,ग्रेड—2,पशुपालन विभाग,बरेली मण्डल, बरेली की सेवा में सादर सूचनार्थ।
3. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशु पालन विभाग, उ0प्र0 के पत्रांक 515/ सामा0—1 /एस0ए0डब्लू0बी0(सेल) /बिविध, दिनांक 22.07.2021 कम में सादर सूचनार्थ।

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी,
बरेली।

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2
   पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त
   उत्तर प्रदेश।

संख्या 515/सामा0-2/एस0ए0[illegible]/विविध, दिनांक 22 जुलाई, 2021

विषयः किसानों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले ब्लेड वाले/कंटीले तारों को पूर्णतया प्रतिबन्धित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन [illegible] पत्र संख्या 1294/37-1-2021, पशुधन अनुभाग-1, दिनांक 13 जुलाई, 2021 जिसके माध्यम से कि[illegible] खेतों में पशुओं के प्रवेश को रोकने हेतु इस्तेमाल किये जाने वाले ब्लेड वाले/कंटीले [illegible] प्रतिबन्धित किये जाने के संबंध में समस्त जिलाधिकारियों, मंडलायुक्त एवं अपर [illegible] विभाग को अपने स्तर से लगवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के संबंध में अवगत कराना [illegible] कि उ0 प्र0 [illegible] आयोग की बैठक दिनांक 17.07.2017 में किसानों द्वारा खेतों में पशुओं के प्रवेश [illegible] हेतु प्रयोग किये जाने वाले ब्लेड वाले तारों को प्रतिबंधित करने की संस्तुति के आधार पर [illegible] पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 तथा उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 [illegible] अधिनियम 2020) के प्राविधानानुसार शासन के पत्र दिनांक 16मार्च, 2018, जो समस्त जिलाधिकारियों [illegible] के माध्यम से किसानों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले ब्लेड वाले/कंटीले तारों को [illegible] प्रतिबन्धित किये जाने विषयक निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये [illegible]।

अतः उक्त के संबंध में [illegible] किसानों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले ब्लेड वाले/कंटीले तारों को पूर्णतया प्रतिबन्धित [illegible] शासन से प्राप्त आदेशों के क्रम में अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 एस0 के0 मलिक)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

संख्या /सामा0-2/एस0ए0[illegible] तद्दिनांक

प्रतिलिपिः समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी [illegible] को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 एस0 के0 मलिक)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

Scanned with CamScanner

15/7/2021

संख्या-1294/37-1-2021

प्रेषक,

डा0 प्रह्लाद बरनवाल,
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

पशुधन अनुभाग- 1 लखनऊः दिनांक 13 जुलाई, 2021

विषय : किसानों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले ब्लेड वाले/कटीले तारों को पूर्णतः प्रतिबंधित किये जाने विषयक शासन द्वारा जारी पत्र समस्त जिलाधिकारियों, मंडलायुक्त एवं अपर निदेशक ग्रेड-2 को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 369/सामा.-2/एस.ए.डब्ल्यू.बी.(सेल)/विविध, दिनांक 21.06.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से किसानों द्वारा खेतों में पशुओं के प्रवेश को रोकने हेतु इस्तेमाल किये जाने वाले ब्लेड वाले/कटीले तारों को पूर्णतः प्रतिबंधित किये जाने के सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2 - उक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी पत्र दिनांक 13.07.2021 संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न पत्र को अपने स्तर से समस्त जिलाधिकारियों, मंडलायुक्त एवं अपर निदेशक ग्रेड-2 को लगवाने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

424(S-1) DAH / 15.7.21

भवदीय,

PBL

(डा0 प्रह्लाद बरनवाल)
उपसचिव

14-7-21

Scanned with CamScanner